

संचालनालय आयुष, म0प्र0
(भू-तल 'डी' विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक : 13/01/2023

-विज्ञप्ति-

-स्नातक द्वितीय चरण काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट कोटा)-
-बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस/बी एन वाय एस-

म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2022 तथा म0प्र0 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2022 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम0पी0 ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।


प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत द्वितीय चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 19/01/2023
2	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्चाईस फीलिंग, लॉकिंग तथा ऐडिट)	दिनांक 20/01/2023 से 22/01/2023 रात्रि 11:59 बजे तक
3	सीट आवंटन	दिनांक 27/01/2023
4	महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 28/01/2023 से 01/02/2023 सायं 05 बजे तक
5	प्रवेश निरस्तीकरण	दिनांक 28/01/2023 से 01/02/2023 रात्रि 11:59 बजे तक

नोट:-

- 1- प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार आनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।
- 3- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति हेतु लंबित शासकीय स्वशासी/निजी आयुष महाविद्यालयों को प्रवेशानुमति प्राप्त होने पर प्रवेश नियम के नियम-18 के तहत काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
- 4- नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल-www.mponline.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


13/1/23
औषधालय अधीक्षक
संचालनालय आयुष म0प्र0